पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:- 362/2025

1. जसकरण सिंह | पि० नत्थासिह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील
2. जसपाल सिंह | टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम

1. नत्थासिह पुत्र अर्जनसिह जाति कुम्हार सिख मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी नत्थासिह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 31.10.25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीसं० 1 जसकरणसिह व वादीसं० 2 जसपाल सिंह को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं0 5 एनडीआर ए के खाता सं0 72/60 में प्रतिवादी सं0 1 नत्थासिह के नाम दर्ज कुल 3.011 है0 में से वादीगण सं० 1 जसकरण सिह व वादी सं0 2 जसपाल सिंह ब०हि०ब० 2/3 हिस्सा

ख. प्रतिवादीया सं0 2 जसविन्द्र कौर को प्राप्त आराजी :- चकनं0 4 एम. एस. टी. के खाता सं0 16/16 मे अंकित प्रतिवादी सं0 1 नत्थासिह की 1.265 है० आराजी के खातेदार काश्तकार है व चकनं0 4 एम.एसटी. के खाता सं0 16/16 मे से नत्थासिह का नाम कलमजन व चकनं0 5. एनडीआर ए के खाता सं0 72/60 मे से प्रतिवादी सं0 1 नत्थासिह का हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with CamScanner